



भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग  
महालेखाकार का कार्यालय  
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र



INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA

2<sup>री</sup> मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यू मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्ये रोड, चर्चगेट,  
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फॅक्स - 22086984.  
ई-मेल: [agseMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agseMaharashtra1@cag.gov.in), वेबसाइट: <http://agmaha.cag.gov.in>

2<sup>nd</sup> Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, 101, Maharashtra Karve Road,  
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984  
e-mail: [agseMaharashtra1@cag.gov.in](mailto:agseMaharashtra1@cag.gov.in), Website: <http://agmaha.cag.gov.in>

पंजीकृत डाक

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/20/Govt/60977370/Chhattisgarh/Ch.5/जा.सं.

सेवा में,

60931042

18/11/2021

1. सभी खजाना कार्यालय,
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी,  
लेखा-को भवन, ए विंग,  
बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा पूर्व,  
मुंबई-400 051.

विषय — **Payment of Pension/Family pension at revised rate to the Honorable Former Members elected from Chhattisgarh State.**

संदर्भ — **O/o The Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur, Letter No. Pension/Rev. Pension/MLA/A/R-2/801 dated 11/1/2020.**

महोदय,

उपरनिर्दिष्ट पत्र की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है, जो महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी) **Chhattisgarh, Raipur** के पत्र संख्या पेंशन/ पुनः पेंशन/ एम. एल. ए./अ/आर-2/801 दिनांक 11/11/2020 द्वारा प्राप्त हुआ है।

2. संलग्न जी.आर. के अनुसार कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। सभी खजाना अधिकारियों से अनुरोध है कि उनके नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले तथा उन सभी उप खजाना कार्यालयों को इस जी.आर./परिपत्र की प्रति भेजें। क्योंकि उन्हें अलग से जी.आर. नहीं भेजा गया है।

3. सभी **Chhattisgarh** सरकार के पेंशन धारकों को सूचित करने के लिए परिपत्र की एक प्रति कृपया सूचना पट्ट पर दर्शाएँ।

4. **The said Orders have been uploaded on this office website i.e. [agmaha.cag.gov.in](http://agmaha.cag.gov.in).**

कृपया इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय,  
  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए. I

संख्या - पी.ए. I/शासकीय/जी.आर. सं. P/20/Govt/60977370/Chhattisgarh/Ch.5/जा.सं.

1. कार्यालय, महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर-440 001 (पेंशन विविध अनुभाग)
2. निदेशक, खजाना एवं लेखा, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई.
3. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, पुणे विभाग, पुणे.
4. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नागपुर विभाग, नागपुर.
5. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, नाशिक विभाग, नाशिक
6. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद.
7. उपनिदेशक, खजाना एवं लेखा, अमरावती. विभाग, अमरावती.
8. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वेतन एवं लेखा अधिकारी, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400 051.
9. The Directorate of Accounts and Treasuries, New Administrative Building, 5<sup>th</sup> Floor, Computer Section, Opp. Mantralaya - 32.
10. महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), Chhattisgarh Raipur के पत्र संख्या पेंशन/ पुनः पेंशन/ एम. एल. ए./अ/आर-2/801 दिनांक 11/11/2020

992  
EDP  
AR

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार  
दिनांक: 11/11/2020

क्र: पेंशन/पुन.पेंशन/एम.एल.ए./अ/आर-2/ 801  
प्रति

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 O/o the Director of Audit & Pension, Government of Arunachal Pradesh, Nahariagun, Arunachal Pradesh-791110
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एज्जीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ. लेखा कार्यालय, पो.बो. 5829, 5829, राँची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पाक हाउस रोड, पो.बो. 560001, बेंगलूर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बो. 695039, एम.जी. रोड, तिरुवनथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारके मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलोंग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआचहराम बिल्डिंग दिग्गज, जिनवल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटोक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टैयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजामवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 Senior Accounts Officer (Establishment & Pension) O/o the Accountant General (A&E), II UP Audit Bhawan Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow, UP-226010
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डायरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
- 32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तेलंगाना, हैदराबाद-500004

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित मान.पूर्व सदस्यों को पुनरीक्षित दर से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन का भुगतान किए जाने विषयक।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय का पत्र क्रमांक 10592 /वि.स./स.ले./पेंशन/161/2020 एवं 10594 /वि.स./स.ले./पेंशन-96iv/2020 दिनांक 14/10/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 445 दिनांक 28/09/2020 में प्रकाशित छत्तीसगढ़ राज्य सके निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित मान.पूर्व सदस्यों को दिनांक 28/09/2020 से पेंशन एवं कुटुंब पेंशन की राशि निम्नानुसार किया जाना है:-

1	पेंशन	राशि ₹ 20,000/- के स्थान पर राशि ₹ 35,000/- प्रति माह की दर से
2	कुटुंब पेंशन	राशि ₹ 10,000/- के स्थान पर राशि ₹ 25,000/- प्रति माह की दर से

नोट :- जिन माननीय पूर्व सदस्यों की कालावधि पाँच वर्ष से अधिक है को देय अतिरिक्त पेंशन तथा चिकित्सा भत्ता में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है, जो पूर्वानुसार ही देय है।

संदर्भित राजपत्र क्रमांक जो वैबसाइट <http://egazette.cg.nic.in/View.aspx> से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार संशोधन कर भुगतान करना सुनिश्चित करें।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक 11/11/2020

पृ.क्र./पुन.पेंशन/एम.एल.ए./ब/आर-2/

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.